[2025] 7 एससीआर 1622 : 2025 आईएनएससी 898

भारत संघ एवं अन्य

बनाम

आर. शंकरप्पा

(सिविल अपील संख्या 9852/2025)

25 जुलाई 2025

[संजय कुमार एवं सतीश चंद्र शर्मा*, न्यायमूर्ति]

विचार के लिए मुद्दा

प्रश्न इस बात से संबंधित उत्पन्न हुआ कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा पारित यह आदेश सही है, जिसके अनुसार उन मामलों में, जहां सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14 के अंतर्गत आरोपपत्र जारी किया गया है और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो लघु दंड देने के लिए अधिकृत है, तब आरोप पत्र को ऐसे प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है जो प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम हो।

शीर्ष टिप्पणियां

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 - नियम 14, 13(2) - प्रमुख दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया - मामला एक ट्रैप केस तथा सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति रखने से संबंधित - उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही - नियम 14 के अंतर्गत प्रमुख दंड अधिरोपित करने हेतु महाप्रबंधक द्वारा आरोपपत्र जारी किया गया - अधिकरण के समक्ष आवेदन कि आरोपपत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो केवल लघु दंड देने के लिए सक्षम है, अतः प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना जारी आरोपपत्र स्वयं ही शून्य है; तथा यह घोषित करने हेतु कि महाप्रबंधक द्वारा जारी आरोपपत्रों के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाही, नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति

के अभाव में प्रारंभ से ही शून्य है - उक्त आवेदन खारिज कर दिए गए - तथापि, उच्च न्यायालय ने कर्मचारी की रिट याचिका स्वीकार करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि जिन मामलों में नियम 14 के अंतर्गत आरोपपत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो केवल लघु दंड देने के लिए सक्षम है, वहां आरोपपत्र को उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है जो प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम है - शुद्धता:

अभिनिर्धारित: लघु दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (वर्तमान मामले में महाप्रबंधक) प्रमुख दंड अधिरोपित करने के लिए भी आरोपपत्र जारी कर सकता है– किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है तथा विभागीय कार्यवाही नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के पूर्णतः अनुरूप संचालित की गई– कार्यवाही की शुरुआत महाप्रबंधक द्वारा की गई थी, अतः महाप्रबंधक द्वारा आरोपपत्र जारी किए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति करना उचित नहीं था– विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तरदाता का दोष सिद्ध किया गया– जांच में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है तथा आरोपपत्र सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ही जारी किया गया है– अंतिम आदेश भी विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो प्रमुख दंड देने के लिए अधिकृत है, अतः अधिकरण द्वारा आवेदन को खारिज करना उचित था– उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपत्तित आदेश निरस्त किया जाता है तथा महाप्रबंधक द्वारा जारी आरोपपत्रों के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाही को विधिसम्मत रूप से प्रारंभ की गई माना जाता है।
[पैरा 13, 14, 16-19]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

भारत संघ एवं अन्य बनाम बी. वी. गोपीनाथ [2013] 14 एससीआर 185 : (2014) 1 एससीसी 351 - भिन्न।

अधिनियमों की सूची

केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

कीवर्ड्स की सूची

आरोपपत्र; लघु दंड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी; आरोप ज्ञापन; प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन; ट्रैप मामला; ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति रखने का मामला; विभागीय कार्यवाही; प्रक्रियात्मक त्रुटि।

केस का उद्भव

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 9852 सन् 2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा रिट याचिका संख्या 14475 सन् 2022 में दिनांक 18.11.2022 को पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत

पक्षों के लिए उपस्थितियाँ

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण:
के. एम. नटराज, ए.एस.जी.; सुदर्शन लांबा; पियूष बेरिवाल; अर्कज कुमार; पद्मेश मिश्रा; सुश्री बानी दीक्षित; शैलेश मडियाल; अनुज श्रीनिवास उडुपा; अमरीश कुमार।

उत्तरदाता की ओर से अधिवक्तागण:
पी. ए. कुलकर्णी; सुश्री पूनम कुमारी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

<u>आदेश</u>

सतीश चंद्र शर्मा*, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गयी|

2. वर्तमान अपील दिनांक 18.11.2022 को रिट याचिका संख्या 14475/2022 में पारित निर्णय एवं आदेश (जिसे आगे "आपत्तित आदेश" कहा जाएगा) से उत्पन्न हुई है, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु (जिसे आगे "उच्च न्यायालय" कहा जाएगा) द्वारा पारित किया गया, जिसके

माध्यम से उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा मूल आवेदन संख्या 170/00457/2021 में दिनांक 23.06.2022 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया।

3. मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता, श्री आर. शंकरप्पा, दूरसंचार विभाग में उप-मंडल अभियंता, समूह 'बी' के पद पर कार्यरत थे तथा कर्नाटक एलएसए (लाइसेंस्ड सर्विस एरिया), डीओटी, बेंगलुरु में पदस्थ थे। उन्होंने दिनांक 31.05.2018 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के उपरांत सेवा से सेवानिवृत्ति ग्रहण की। वर्ष 2003 में, उत्तरदाता के विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दो मामलों में अभियोजन चलाया गया; अर्थात, मामला संख्या 1, विशेष सीसी संख्या 42/2003, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धाराओं 7 एवं 13(2) सहपठित धारा 13(1)(घ) के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोजन संस्थित किया गया, जिसमें एक ठेकेदार से रुपये 1 लाख की रिश्वत मांगने एवं स्वीकार करने का आरोप था; तथा विशेष सीसी संख्या 92/2003, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 13(1)(ङ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत अपराधों के लिए अभियोजन संस्थित किया गया, जिसमें ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था। उत्तरदाता दोनों ही मामलों में दोषसिद्ध हुए। इस न्यायालय के समक्ष उपलब्ध अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि उत्तरदाता ने अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील संख्याएं 195/2014 एवं 277/2014 दायर कीं, जिनमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 08.04.2014 एवं 22.04.2014 के आदेशों द्वारा क्रमशः उनकी दोषसिद्धि तथा दंडादेश पर स्थगन प्रदान किया। उक्त आपराधिक अपीलें वर्तमान तक लंबित हैं।

4. समानांतर रूप से, उत्तरदाता के विरुद्ध, जब वह बेंगलुरु टेलीकॉम एसएसए (बीजीटीडी) में उप-मंडल अभियंता (केबल कंस्ट्रक्शन-II) के रूप में कार्यरत था, विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 (जिसे आगे "सीसीएस (सीसीए) नियम" कहा जाएगा) के नियम 14 के अंतर्गत दिनांक 27.05.2006 तथा 04.12.2008 को दो आरोपपत्र जारी किए गए, जो क्रमशः ट्रैप मामले तथा ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित थे।

5. मामले के अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (जिसे आगे "कैट" कहा जाएगा), बेंगलुरु के समक्ष कुल छह वाद दायर किए तथा विभागीय जांच

को बाधित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए। उक्त दो आरोपपत्रों के संबंध में उसके द्वारा दायर छह वादों का विवरण निम्नानुसार है:

I. कथित ट्रैप मामले से संबंधित विभागीय कार्यवाही के संबंध में:

(i) ओ.ए. संख्या 273/2007, दिनांक 04.09.2008 को निर्णयित

(ii) ओ.ए. संख्या 486/2017, दिनांक 18.07.2018 को निर्णयित

(iii) ओ.ए. संख्या 79/2019, दिनांक 05.03.2020 को निर्णयित

II. ज्ञात आय के स्रोत से अधिक संपत्ति के आरोप से संबंधित विभागीय कार्यवाही के संबंध में:

(i) ओ.ए. संख्या 67/2010, दिनांक 15.03.2012 को निर्णयित

(ii) ओ.ए. संख्या 475/2017, दिनांक 18.07.2018 को निर्णयित

(iii) ओ.ए. संख्या 78/2019, दिनांक 05.03.2020 को निर्णयित

6. उत्तरदाता ने उपर्युक्त वादों में अधिकरण के समक्ष यह आधार उठाया कि आरोपपत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं, जो केवल लघु दंड देने के लिए सक्षम है, अतः चूंकि आरोपपत्र प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए आरोपपत्र स्वयं ही शून्य हैं। इसी आधार पर उत्तरदाता ने अंततः एक मूल आवेदन दायर किया, जिसे ओ.ए. संख्या 170/00457/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थना की गई:

"यह घोषित किया जाए कि आरोप ज्ञापन संख्या VIG/12-285A/2005/6 दिनांक 27.05.2006 तथा संख्या VIG/RS-SDE/BGTD/2008/37 दिनांक 01.12.2008, जो दोनों प्रधान महाप्रबंधक, बीजीटीडी, बेंगलुरु (यहां उत्तरदाता संख्या 4) द्वारा जारी किए गए हैं, नियुक्ति प्राधिकारी की स्वीकृति के अभाव में प्रारंभ से ही शून्य हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत संघ एवं अन्य बनाम बी. वी. गोपीनाथ (2014) 1 एससीसी 351 में प्रतिपादित किया गया है।"

7. उत्तरदाता ने अधिकरण के समक्ष इस न्यायालय के निर्णय, **भारत संघ एवं अन्य बनाम बी. वी. गोपीनाथ** पर अत्यधिक निर्भरता व्यक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने की प्रार्थना की। अधिकरण ने उक्त मूल आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोपपत्र तथा विभागीय कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता, क्योंकि वे सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। यह भी कहा गया कि लघु दंड देने के लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी, सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14 के अंतर्गत प्रमुख दंड

अधिरोपित करने हेतु भी आरोपपत्र जारी कर सकता है, बशर्ते कि अंतिम दंडादेश उस अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाए जो प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम हो।

8. मूल आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित होकर उत्तरदाता ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 14475 सन् 2022 दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.11.2022 के आपत्तित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि जिन मामलों में सीसीएस (सीसीए) नियमों के नियम 14 के अंतर्गत आरोपपत्र ऐसे प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो लघु दंड देने के लिए सक्षम है, वहां आरोप ज्ञापन को उस प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है जो प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम है।

9. याचिकाकर्ता– भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष जोरदार तर्क प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा **भारत संघ एवं अन्य बनाम बी. वी. गोपीनाथ** के निर्णय पर किया गया भरोसा त्रुटिपूर्ण है, तथा इस क्षेत्र को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान अनुशासनिक प्राधिकारी को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि वह प्रमुख दंड से संबंधित मामलों में भी आरोपपत्र जारी कर सकता है, भले ही आरोपपत्र जारी करने वाला प्राधिकारी केवल लघु दंड देने के लिए ही सक्षम क्यों न हो।

10. इसके विपरीत, उत्तरदाता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह जोरदार तर्क दिया कि वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उच्च न्यायालय का निर्णय पूर्णतः उक्त मामले, Union of India and Others v. B.V. Gopinath में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से आच्छादित है।

11. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया।

12. वर्तमान मामले में यह निर्विवाद तथ्य है कि आरोपपत्र केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत जारी किया गया, जो प्रमुख दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। उक्त नियम 14(1) का प्रासंगिक अंश निम्नलिखित है:

"14. प्रमुख दंड अधिरोपित करने की प्रक्रिया

(1) नियम 11 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को अधिरोपित करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इस नियम तथा नियम 15 में निर्दिष्ट विधि के अनुसार, यथासंभव, जांच संपन्न न की जाए, अथवा जहां ऐसी जांच लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 (37 of 1850) के अंतर्गत की जाती है, वहां उस अधिनियम में विनिर्दिष्ट विधि के अनुसार जांच संपन्न न की जाए।"

13. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता किसी भी वैधानिक प्रावधान के उल्लंघन को इंगित करने में असफल रहे हैं तथा विभागीय कार्यवाही उपर्युक्त नियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के पूर्णतः अनुरूप संचालित की गई।

14. वर्तमान मामले में, जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, आरोपपत्र प्रमुख दंड अधिरोपित करने हेतु महाप्रबंधक (दूरसंचार) द्वारा जारी किया गया था। सीसीएस (सीसीए) नियमों के परिशिष्ट-3 के अनुसार, दूरसंचार आयोग का सदस्य प्रमुख दंड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है तथा महाप्रबंधक (दूरसंचार) लघु दंड देने के लिए सक्षम है। सीसीएस (सीसीए) नियमों के परिशिष्ट-3 को निम्नानुसार उद्धृत किया जाता है:

क्रम संख्या (1)	सेवा का विवरण (2)	नियुक्ति प्राधिकारी (3)	दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी तथा वे दंड जिन्हें वह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में उल्लिखित मद संख्या के संदर्भ में)	
			प्राधिकारी (4)	दंड (5)
9.	दूरसंचार अभियांत्रिकी सेवा, समूह 'बी'	सदस्य, दूरसंचार आयोग	सदस्य, दूरसंचार आयोग; सलाहकार (मानव संसाधन विकास), दूरसंचार विभाग; सर्किल प्रमुख; महाप्रबंधक; दूरसंचार कारखाने;	सभी

			टेलीफोन जिला प्रमुख; दूरसंचार जिला/ वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के दूरसंचार क्षेत्र के प्रमुख वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अनुरक्षण के महाप्रबंधक; महाप्रबंधक, परियोजनाएं	(i) से (iv)

15. केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 का नियम 13, जो विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में प्रावधान करता है, निम्नानुसार है:

13. कार्यवाही प्रारंभ करने का प्राधिकारी

(1) राष्ट्रपति या उसके द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से अधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी–

(क) किसी भी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है;

(ख) किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को यह निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करे, जिस पर वह अनुशासनिक प्राधिकारी इन नियमों के अधीन नियम 11 में निर्दिष्ट किसी भी दंड को अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(2) ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी, जो इन नियमों के अधीन नियम 11 के खंड (i) से (iv) में निर्दिष्ट किसी भी दंड को अधिरोपित करने के लिए सक्षम है, किसी भी सरकारी सेवक के विरुद्ध नियम 11 के खंड (v) से (ix) में निर्दिष्ट किसी भी दंड के अधिरोपण हेतु विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है, भले ही वह अनुशासनिक प्राधिकारी इन नियमों के अधीन उक्त पश्चातवर्ती दंडों को अधिरोपित करने के लिए सक्षम न हो।''

16. नियम 13(2) का साधारण अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि नियमों के अंतर्गत सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी "विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।" जब उक्त नियम को नियम 14 तथा सीसीएस (सीसीए) नियमों के परिशिष्ट-3 के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो

जाता है कि लघु दंड देने के लिए सक्षम प्राधिकारी (वर्तमान मामले में महाप्रबंधक) प्रमुख दंड अधिरोपित करने के लिए भी आरोपपत्र जारी कर सकता है।

17. अतः संक्षेप में, विभागीय कार्यवाही की शुरुआत दूरसंचार आयोग के सदस्य द्वारा भी की जा सकती है तथा महाप्रबंधक (दूरसंचार) द्वारा भी। वर्तमान मामले में कार्यवाही की शुरुआत महाप्रबंधक (दूरसंचार) द्वारा की गई है, और इसलिए विधि के वैधानिक प्रावधानों के आलोक में इस न्यायालय का विचारित मत है कि महाप्रबंधक (दूरसंचार) द्वारा आरोपपत्र जारी किए जाने को केवल इस आधार पर दोषपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता कि **इस न्यायालय द्वारा बी. वी. गोपीनाथ (उपर्युक्त)** मामले में दिए गए निर्णय पर निर्भर किया गया।

18. इस न्यायालय ने **बी. वी. गोपीनाथ** (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया है। उक्त मामला एक आईआरएस अधिकारी, श्री **बी. वी. गोपीनाथ**, जो आयकर के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में नियुक्त थे, से संबंधित था, जिसमें यह आपत्ति उठाई गई थी कि उनके विरुद्ध आरोपपत्र को वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी, जबकि दिनांक 19.07.2005 के कार्यालय आदेश में ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता का प्रावधान था। वर्तमान मामले में दूरसंचार विभाग के संबंध में ऐसा कोई कार्यालय आदेश नहीं है तथा इस क्षेत्र को विनियमित करने वाले वैधानिक प्रावधान भी दूरसंचार आयोग के सदस्य से ऐसी स्वीकृति की अपेक्षा नहीं करते। वर्तमान मामले में विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उत्तरदाता का दोष स्थापित किया गया है। जांच में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है तथा आरोपपत्र सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा ही जारी किया गया है। अंतिम आदेश भी विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उस सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो प्रमुख दंड देने के लिए अधिकृत है, और इस प्रकार अधिकरण द्वारा उत्तरदाता के मूल आवेदन को खारिज करना उचित था तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

19. फलतः, अपील स्वीकार की जाती है तथा रिट याचिका संख्या 14475 सन् 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2022 को पारित आपत्तित आदेश निरस्त किया जाता है और आरोप ज्ञापन संख्या VIG/12-285A/2005/6 दिनांक 27.05.2006 तथा संख्या VIG/RS-SDE/BGTD/2008/37 दिनांक 01.12.2008, जो दोनों प्रधान महाप्रबंधक, बीजीटीडी, बेंगलुरु

(यहां उत्तरदाता संख्या 4) द्वारा जारी किए गए हैं, के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाही को विधिसम्मत रूप से प्रारंभ की गई माना जाता है।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत

† हेडनॉट्स निधि जैन द्वारा तैयार की गयी ।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|